अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

का.आ. 511 (अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 10 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने धनवंत्री, शाकर फालिया, वन्सदा, जिला नवसारी-396580, गुजरात द्वारा भवन निर्माण/उपस्करों,उपकरणों, वाहन की खरीद तथा वन्सदा, जिला वलसाड़, गुजरात में सन्त रनछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल चलाने को कर निर्धारण वर्ष 2000--2001 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धनवंत्री, शाकर फालिया, वन्सदा, जिला नवसारी-396580, गुजरात द्वारा भवन निर्माण/उपस्करों,उपकरणों, वाहन की खरीद तथा वन्सदा, जिला वलसाड़, गुजरात में सन्त रनछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल चलाने की परियोजना या स्कीम को जो दो करोड़ दस लाख की अनुमानित लागत (एक करोड़ पच्चीस लाख की संग्रह निधि सहित) वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 137-2004/फा. सं. एन. सी. 395/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)